Investigator. (SS) G.I

423

राजस्ट्री सं० डी० एल० (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 4] नई दिल्ली, जनवरी 20—जनवरी 26, 2008, शनिवार/पौष 30—माघ 6, 1929
No. 4] NEW DELHI, JANUARY 20—JANUARY 26, 2008, SATURDAY/PAUSA 30—MAGHA 6, 1929

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप—खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2008

सा.का.नि. 14 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में अन्वेषक (सामाजिक अध्ययन) ग्रेड-I भर्ती नियम, 2001 का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय में अन्वेषक (सामाजिक अध्ययन) ग्रेड-I के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय में अन्वेषक (सामाजिक अध्ययन) ग्रेड-I समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2008 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षणिक अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षणिक अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके और उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण या अप्रवरण पद है	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अन्वेषक (सामाजिक अध्ययन) ग्रेड-I	12* (2008) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	5500-175-9000 रुपए	लागू नहीं	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)	(10)
30 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय।) **टिप्पणी :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी, (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख डिविजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल एवं स्पीति जिला और चम्बा जिले का	**अनिवार्य:** किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों के विशेष संदर्भ सहित ग्राम या समुदाय अध्ययन में विशिष्टता के साथ नृविज्ञान या समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष । **टिप्पणी :** उम्मीदवारों के अन्यथा सुअर्हक होने की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार कारणों को लेखबद्ध करके अर्हताओं में छूट दी जा सकती है ।	लागू नहीं	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(7)			
पांगी सब-डिविजन, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए नियत की गई अंतिम तारीख नहीं)			
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)	(14)
सीधी भर्ती द्वारा । पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर होने या दीर्घावधि बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकती हैं : (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में 5000-8000 रुपए या समकक्ष वेतनमान में पद पर नियमित नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो; या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में 4500-7000 रुपए या समकक्ष वेतनमान में पद पर नियमित नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में छह वर्ष की सेवा पूर्ण की हो; और (ख) कालम 8 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं रखते हों ।	लागू नहीं	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) :** 1. भारत के महारजिस्ट्रार —अध्यक्ष 2. भारत के अपर महा- रजिस्ट्रार या भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार —सदस्य 3. उप निदेशक (प्रशासन), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए-16011/28/2000-प्रशा. II/प्रशा. V]

डी. एस. सैनी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 22nd January, 2008

G.S.R. 14.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Registrar General, India Investigator (Social Studies) Grade-I Recruitment Rules, 2001 except as respect things done or omitted to the done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Investigator (Social Studies) Grade-I in the office of the Registrar General, India, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India Investigator (Social Studies) Grade-I Group 'B' Post Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the candidate belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service is admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Investigator (Social Studies) Grade-I	12*(2008) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5,500-175 9,000	Not applicable	No

Age limit for direct recruitments	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of	**Essential :** Master's Degree from a recognised university or equivalent in Anthropology or Sociology with specialisation in Village or Community study with special reference to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. **Note :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years for direct recruit

(7)			
Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).			
Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)	(14)
By direct recruitment. Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government : (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 5000–8000 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with six years' in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 4500—7000 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruitment under column 8.	Not applicable	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :** 1. Registrar General, India —Chairman 2. Additional Registrar General, India or Joint Registrar General, India —Member 3. Deputy Director (Administration), office of the Registrar General, India —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-16011/28/2000-Ad. II/Ad-V]
D. S. SAINI, Under Secy.

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय)

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2008

सा.का.नि. 15 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, कंपनी कार्य विभाग श्रेणी 'ख' पद निजी सहायक भर्ती नियम, 2004 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय में निजी सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

145 GI/08-2